न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी प्रभात त्रिपाठी)
आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 64/2019

1 राजेश पुत्र सोहनलाल दत्तक पुत्र नाथूलाल, जाति कलाल निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्रीमति हाबूडी पत्नि मदन जाति कलाल
2 बबलू पुत्र मदन जाति कलाल
3 श्रीमति नन्दु पत्नि सोहन जाति कलाल
4 ज्ञानचन्द पुत्र सोहन जाति कलाल
5 अनूप पुत्र श्रीकिशन जाति कलाल
6 कैलाश पुत्र श्रीकिशन जाति कलाल
7 लहरी पत्नि श्रीकिशन जाति कलाल समस्त निवासीगण भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
8 रामकुवार पुत्र सुखदेव जाति जाट
9 हंसराज पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासीगण जोरावरपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थित :— युसुफ मोहम्मद अधिवक्ता प्रार्थी
श्री धर्मवीर बामनिया अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5 लगायत 7
पैरोकार सरकार

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

निर्णय दिनांकः—28.09.2022

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवदेन किया है कि मौजा सरगांव तहसील भिनाय की वादग्रस्त भूमियां जमाबन्दी संवत् 2072—75 के खाता सं. 97 की भूमियां खसरा नं. 351 रकबा 0.04 किस्म गै.मु.चाह प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के पूर्वज जगन्नाथ पुत्र भूरा जाति कलाल एवं अप्रार्थी सं. 8 व 9 के सहखातेदारी में दर्ज आराजीयात है। उक्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के पूर्वज का 1/2 हिस्सा हक एवं अधिकार है एवं श्री जगन्नाथ की नाऔलाद मृत्युपरांत प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 उनके विधिक वारिस होने के कारण हक अधिकार रखते है। अतः प्रार्थी को उनके पूर्वज श्री जगन्नाथ वल्द भूरा के हक एवं अधिकार की भूमि में प्रार्थी के हक एवं अधिकार तक खातेदारी हेतु वाद के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को [illegible] नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 एवं अप्रार्थी [illegible] न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा [illegible] सं. 5 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मवीर बामनिया ने वकालत नामा मय जवाब प्रार्थना [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि [illegible] पत्र झूठे एवं गलत तथ्यों पर आधारित हैं। प्रार्थी द्वारा श्री जगन्नाथ वल्द भूरा जाति कलाल [illegible] वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार 1/2 हिस्सा अधिकारी हैं, को अविवाहित/नाऔलाद फौत बताकर वादग्रस्त आराजीयात स्वयं एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज कराने की नियत से

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि श्री जगन्नाथ वल्द भूरा की विधिक वारिस उनकी पत्नि गलकू देवी एवं उनसे उत्पन्न संतान श्रीमति नन्दू देवी एवं उनके पश्चात् नन्दू देवी के वारिसान उक्त वादग्रस्त भूमियों पर हक अधिकार रखते है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य छिपाकर न्यायालय को गुमराह कर श्री जगन्नाथ की भूमि को हथियाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र जारीकर्ता कार्यालय को गलत जानकारी उपलब्ध कराकर जारी करवाया गया है जो निरस्त योग्य है। श्री जगन्नाथ पुत्र भूरा के विधिक वारिसान उपलब्ध होने के कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य बताया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में लिखित कथन दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पुरजोर निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में **RRD1993 Radhey Shyam V/s Laxmi Narain & anr. Revision No. 163/Jaipur Of 90, Decided on 27.11.1992 Page no. 206-208 AND RRD 1999 Harphhol V/s Harlal & ors.(138) Revision No. 1/ jaipur of 96, decided on 11-05-199 page no. 420-422** प्रस्तुत की। अप्रार्थी सं. 5 लगायत 7 के अधिवक्ता ने जवाब पत्र अनुसार अभिकथनों को प्रस्तुत कर जवाब पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर प्रकरण निर्णित करने की प्रार्थना करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का अनुरोध किया। पैरोकार सरकार ने पत्रावली पर जगन्नाथ वल्द भूरा के विधिक वारिसान की जांच संबंधी दस्तावेजात अनुसार प्रश्नगत आराजीयात का विधिक वारिस होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायसंगत प्रतीत नहीं होना बताया।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों को अध्ययन करने पर पाया कि RRD1993 Radhey Shyam V/s Laxmi Narain & anr. एवं RRD 1999 Harphhol V/s Harlal & ors.(138) दोनों नजीरे संयुक्त आराजीयात के विधिवत विभाजन को लेकर आधारित है जबकि प्रकरण में पत्रावली पर स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजीयात पर दर्ज खातेदार की विरासत पर प्रश्न करते हुए स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार यह स्पष्ट है कि जगन्नाथ वल्द भूरा के विधिक वारिस उपलब्ध है एवं प्रार्थी द्वारा उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। जिस कारण उपरोक्त नजीरें वर्तमान प्रकरण पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती है। उपरोक्त विवेचन से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होना नहीं पाया जाता है। उपरोक्त स्थिति में प्रार्थी वांछित अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं है ।

—:आदेश:—

अतः मौजा सरगांव तहसील भिनाय की वादग्रस्त भूमियां जमाबन्दी संवत् 2072—75 के खाता सं. 97 की भूमियां खसरा नं. 351 रकबा 0.04 किस्म गै.मु.चाह पर प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वांछित आनुतोष के अधिकारी नहीं पाये जाने एवं इसे सिद्ध करने में असफल होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है । [illegible] कम ही बाद तामील तकमील होकर पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर [illegible]

पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो। [illegible]

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले इजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner